संख्या–5635/9–आ–1–2002

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–07 दिसम्बर, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

(1) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा–17सी के अंतर्गत विधिक राय प्राप्त कर कैम्प लगाकर रजिस्ट्री की कार्यवाही करायेंगे। महानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि रजिस्ट्री अब शनिवार को भी होगी, अतः इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाय ताकि अधिकाधिक लोगों को जानकारी हो सके।

(2) पूर्व में हस्तान्तरित सम्पत्तियों की रजिस्ट्री दिनांक 31.03.03 तक पुरानी दों पर कराने हेतु प्रचार–प्रसार कराया जाय अन्यथा दिनांक 31.03.03 के पश्चात नये सर्किल रेट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

2. कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या :– 5635 (1)/9–आ–1–02–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. आवास बन्धु।

4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमिताभ त्रिपाठी
अनुसचिव।